259/1

दूरभाष : 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

दिनांक : 10 अगस्त 2015

पत्रांक : सि0उ0/05/76/एक/2015-16

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–गाजियाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
सिंडिकेट बैंक	85562010120829	IFSC Code SYNB0008556	138.001

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	गाजियाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 गाजियाबाद	न्यू हिण्डन भाग दो (फारूख के मकान से अशरफ के मकान तक, शौकिन के मकान से मुस्तकीम के मकान तक, ईकबाल के मकान से मेहरबान के मकान तक, मुस्तकीम के मकान से सलीम के मकान तक, अलवी के मकान से होशियार के मकान तक, शानू के मकान से सलीम के मकान तक, सलीम के मकान से शाहिद कुरैशी के मकान तक, शमसु के मकान से तौरिफ के मकान तक, शमसू के मकान से अहमद के मकान तक एवं सलीम के मकान से शाहिद के मकान तक) में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	17.371
2	गाजियाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 गाजियाबाद	न्यू हिण्डन विहार भाग एक (आजम के मकान से नूरे के मकान तक, नूरे के मकान से अलीजान के मकान तक, शफीक हाजी के मकान से मेहरबान के मकान तक, निसार के मकान से कामिल के मकान तक, अब्दुल सलाम के मकान से सलीम के मकान तक, शौकीन के मकान से अहमद के मकान तक, अहमद के मकान से विनोद के मकान तक, सदीक के मकान से इकबाल के मकान तक) में इंटरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण।	15.312
3	गाजियाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 लोनी	प्रेम नगर भाग एक (अख्तार के मकान से मुनफाद के मकान तक, जावेद के मकान से रिसपाल के मकान तक, बन्नी के मकान से रहीसू के मकान तक, मुनफाद के मकान से चांद के मकान तक, हारून के मकान से सलीमू के मकान तक, डा0 सुल्तानी के मकान से साबिर के मकान तक) में इंटरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	12.176
4	गाजियाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 लोनी	प्रेम नगर भाग दो (अहसान के मकान से शकिर के मकान तक, सलीम के मकान से शान के मकान तक, इकबाल के मकान से नुरूदीन के मकान तक, नाजिम के मकान से	7.785

2259/2

दूरभाष- 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

SUDA

क्र.सं.	[illegible]	अल्पसंख्यक [illegible]	निकाय का नाम	बस्ती, वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
				पप्पू के मकान तक, जाहिद के मकान से वाहिद के मकान तक, वाहिद के मकान से अशरफ के मकान तक एवं [illegible] के मकान से शानु के मकान तक) में इंटरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	
	[illegible]	अल्पसंख्यक 37 बजट	न0पा0प0 लोनी	[illegible] नगर भाग एक (अख्तर के मकान से दिलशाद के मकान तक, मक्‍़सूद के मकान से बाबू के मकान तक, यासीन के मकान से दिलशाद के मकान तक, हाकम के मकान से शमसुद्दीन से मयूर के मकान तक, मयूर के मकान से शब्बीर के मकान तक एवं शब्बीर के मकान से शमसुद्दीन के मकान तक) में इंटरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	15.765
	[illegible]	अल्पसंख्यक 37 बजट	न0पा0प0 लोनी	दौलत नगर भाग दो (फुरकान के मकान से फिरोज के मकान तक, मुकेश के मकान से यासीन के मकान तक, नसीम के मकान से नसीम के मकान तक एवं महबूब के मकान से शकील के मकान तक) में इंटरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण।	7.534
	[illegible]	अल्पसंख्यक 37 बजट	न0पा0प0 लोनी	दौलत नगर भाग(महबूब के मकान से नसीम के मकान तक, शमसुद्दीन के मकान से शमसुद्दीन के मकान तक, [illegible] के मकान से नवल के मकान तक, नसीम के मकान से इस्लामके मकान तक, अब्दुल के मकान से सफार के मकान तक, अब्दुल के मकान से जाकिर के मकान तक, मस्जिद वाली गली)में इंटरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण।	17.465
	[illegible]	अल्पसंख्यक 37 बजट	न0पा0प0 मुरादनगर	[illegible] भाग दो अफसाक के मकान से निजामुद्दीन के मकान तक, दिलशाद के मकान से शौकत के मकान तक, [illegible] के मकान से अलाउद्द के मकान तक, अलाउद्द के मकान से रहमान के मकान तक, अब्दुल के मकान से यासीन के मकान तक, चांद के मकान से यासीन के मकान तक) इंटरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण।	16.326
	[illegible]	अल्पसंख्यक 37 बजट	न0पा0प0 मुरादनगर	[illegible] भाग तीन [illegible] के मकान से [illegible] के मकान तक, [illegible] के मकान से [illegible] के मकान तक, [illegible] से रहमान के मकान तक, [illegible] मोहम्मद के मकान से [illegible]द्दीन के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	[illegible]
	[illegible]	अल्पसंख्यक 37 बजट	न0पा0प0 मुरादनगर	[illegible] भाग [illegible] के मकान से [illegible] के मकान तक, [illegible] के मकान से [illegible] के मकान तक, खालिद के मकान से [illegible] के मकान तक इंटरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	[illegible]
	[illegible]	अल्पसंख्यक 37	[illegible]	[illegible]	[illegible]

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

259/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10 प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(शेर प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(शेर प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक